रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220700
CG-DL-E-27072020-220700

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] **नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942**
No. 283] **NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942**

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

सं.भा.आ.प.-18(1)/2020-मेड./-110887— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, **"अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000"** में पुन: संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) ये विनियम "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियमावली, 2020" कहे जायेंगे।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता की वृद्धि विनियमावली, 2000" के भाग-1 में "अर्हक मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 3, उप-खंड 1(1) का पैराग्राफ 2, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"बशर्ते कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए अभी मान्यताप्राप्त न होने वाले मेडिकल कालेजों को यह अनुमति होगी कि वे दूसरे नवीकरण के समय अर्थात एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए तीसरे बैच के दाखिले के साथ-साथ प्रि-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों नामतः शरीररचना-विज्ञान; शरीरक्रिया विज्ञान; जीवरसायन; भेषज-विज्ञान; रोग-विज्ञान; सूक्ष्मजीव-विज्ञान; फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन में और नैदानिक विषयों नामतः संचेतनाहर-विज्ञान; त्वचारोग-विज्ञान; रतिजरोग-विज्ञान एवं कुष्ठ रोग; जनरल मेडिसिन; बालरोग; मनोरोग-विज्ञान; विकिरण निदान; रेडिएशन ऑनकोलोजी; श्वसनी मेडिसिन; नाक-कान-गला रोग-विज्ञान; जनरल सर्जरी; नेत्ररोग-विज्ञान; विकलांग-विज्ञान; प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सके।

पुन: बशर्ते कि मेडिकल कालेज, प्रि और पारा नैदानिक विशेषज्ञताओं के लिए आवेदन करते

समय तीसरे नवीकरण हेतु सभी मापदंड / शर्तें पूरी करते हों और नैदानिक विशेषज्ञताओं के लिए आवेदन करते समय चौथे नवीकरण हेतु सभी मापदंड / शर्तें पूरी करते हों।"

डॉ. राकेश कुमार वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./148/2020-21]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत: "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34 (41)/2000/मेड के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22/03/2005, 23/09/2009, 09/12/2009, 29/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010, 03/11/2010, 29/12/2015, 29/04/2016, 06/07/2017, 08/06/2018, 20/06/2018, 12/07/2018, 28/01/2019 और 05/04/2019 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित की गई थी।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2020

No. MCI-18(1)/2020-Med./110887— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in Super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000." namely:-

1. (i) These Regulations may be called the "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2020"

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Part-I of the Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000, 2nd paragraph of Clause 3 sub-clause 1(1) under the heading "Qualifying Criteria", shall be substituted as under:

"Provided that it shall be permissible for Medical Colleges not yet recognized for the award of MBBS degree under the Indian Medical Council Act, 1956 to apply for starting of a Post-graduate medical education course in pre clinical and para clinical subjects, namely, Anatomy; Physiology; Biochemistry; Pharmacology; Pathology; Microbiology; Forensic Medicine; and Community Medicine and in clinical subjects, namely, Anaesthesiology; Dermatology, Venerology and Leprosy; General Medicine; Paediatrics; Psychiatry; Radio diagnosis; Radiation Oncology; Respiratory Medicine; Otorhinolaryngology; General Surgery; Ophthalmology; Orthopaedics; Obstetrics & Gynaecology, at the time of second renewal, i.e., along with the admission of third batch for the MBBS course.

Provided further that the Medical College fulfils all the criteria/ requirements for the 3rd renewal when applying for pre and para clinical specialities and fulfils all the criteria/ requirements for the 4th renewal when applying for clinical specialities."

DR. RAKESH KUMAR VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./148/2020-21]

Footnote: The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000-Med, dated the 14th August, 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 22/03/2005; 23/09/2009; 09/12/2009; 29/12/2009; 11/01/2010; 16/04/2010; 03/11/2010; 29/12/2015; 29/04/2016; 06/07/2017; 08/06/2018; 20/06/2018; 12/07/2018; 28/01/2019 & 05/04/2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.07.27 20:42:56 +05'30'